

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com

Phone/Fax :- (05962) 230229



पत्रांक 1191 / 12-1 दिनांक, 05/10 अल्मोड़ा,

2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में चैलछिना-बसन्तपुर-जैती मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या 38787/2019)।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्ड्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून की पत्र सं० 433/12-1 देहरादून दिनांक 2.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के कम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण मे भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गयी विन्दु सं० 1 से 4 तक आपत्ति का प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण कर प्रतिउत्तर ऑनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसे निम्नानुसार महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In Context with the EDS dt. 22-12-2022, the concerned DFO is requested to visit the site and submit the inspection report.	प्रमाण पत्र संलग्न।
2	The user agency shall submit a detailed map and KML file showing all the proposed village, roads connection the existing villages and the market place, existing Government infrastructure such as Polytechnic, ITI, Colleges, banks, post office, etc.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग से जिन ग्रामों को जोडा जाना है। उन ग्रामों की वर्तमान में उपलब्ध सड़क तक दूरी एवं कॉलेज, आई०टी०आई०, पॉलिटेक्निक, डाकघर, बैंक आदि जैसे सरकारी बुनियादी ढाँचे के०एम०एल० में अंकित कर के०एम०एल० ऑनलाईन पार्ट-1 के विन्दु सी० में अपलोड कर ली गयी है।
3	The information regarding the distance of existing roads connecting the proposed villages from the market place is required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि पूर्व निर्मित मोटर मार्गों से लामान्वित होने वाले ग्रामों की दूरी निम्नवत् है। ग्राम त्यूनरा-120 मी० ग्राम रणक- 500 मी० ग्राम बडियारी रैत- 100 मी० ग्राम रौसिला- 50 मी० ग्राम नया संग्रौली-30 मी० ग्राम टिकर- 100 मी०
4	Minimum possible alignment to connect the the existing villages to the market shall be submitted.	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि उक्त के अतिरिक्त विषयगत मोटर मार्ग हेतु कोई अन्य उपयुक्त संरक्षण उपलब्ध नहीं है।

संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीय,


(ध्रुव सिंह मातोशिया)
प्रभागीय वनाधिकारी,

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना-बसन्तपुर-जैती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 23.12.2023 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा ली गयी वी०सी० में पूछे गये प्रश्न, कि उक्त मोटर मार्ग से आच्छादित गांव गूगल मैप के अनुसार पूर्व में निर्मित वन मोटर मार्ग के आस-पास लगे दिखाई दे रहे हैं, के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा अधोहस्ताक्षरी/प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को मौके का संयुक्त निरीक्षण के मौखिक आदेश के क्रम में दिनांक 08.02.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री कैलाश सिंह रौतेला, सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा एवं कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा के साथ मौके का निरीक्षण किया गया एवं मौके पर नोडल अधिकारी द्वारा पूछे गये बिन्दु-आच्छादित गांव के आस-पास पूर्व में ही उक्त मोटर मार्ग के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुवार सूचना प्रेषित है-

1. चैलछीना गांव पूर्व में काफलीखान-चैलछीना-भनोली मोटर मार्ग से जुड़ा है।
2. संयुक्त निरीक्षण में सहायक अभियन्ता श्री कैलाश सिंह रौतेला द्वारा अवगत कराया गया है कि चैलछीना-बसन्तपुर-जैती मोटर मार्ग अस्तित्व में आने से तहसील मुख्यालय जैती की दूरी 23 किमी० कमी हो जायेगी।


प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।